RES MILITARIS
REVUE EUROPEENNE D ETUDES EUROPEAN JOURNAL OF MILITARY STUDIES
Social Science Journal

लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना: प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव और परिचालन चुनौतियाँ

रेखा चौधरी [ए], डॉ. रितु चंद्रा [बी]

[ए,बी] शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी
देवा रोड बाराबंकी, भारत.225003

ईमेल: bdchaudhary74@gmail.com

सारांश:

यह पेपर नामांकन, उपस्थिति और ड्रॉपआउट दर पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लखनऊ में प्राथमिक शिक्षा पर मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के प्रभाव की जांच करता है। वर्तमान स्थिति, महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों की समीक्षा के साथ-साथ परिचालन और संरचनात्मक कमियों का विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्षों से नामांकन, उपस्थिति और स्कूल छोड़ने की दर में कमी पर सकारात्मक प्रभाव का पता चलता है। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों सहित परिचालन संबंधी चुनौतियों की पहचान की गई है।

कीवर्ड: मध्याह्न भोजन योजना, प्राथमिक शिक्षा, नामांकन दर, उपस्थिति पैटर्न, ड्रॉपआउट दर, परिचालन चुनौतियां, लखनऊ, बाल पोषण, शैक्षणिक प्रदर्शन, गुणात्मक अनुसंधान।

परिचय:

मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम, जिसे स्कूल दोपहर के भोजन कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरा है जिसका उद्देश्य छात्रों को उनके स्कूल दिवस के दौरान एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से निम्न सामाजिक आर्थिक समुदायों में छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैलोरी के अनुशंसित दैनिक भत्ते का कम से कम एक तिहाई और प्रोटीन के अनुशंसित दैनिक भत्ते का आधा योगदान देने का प्रयास करता है। इस तरह के हस्तक्षेपों के पीछे तर्क यह समझ में निहित है कि अच्छी तरह से पोषित बच्चों के नियमित रूप से स्कूल जाने और बढ़ी हुई सीखने की क्षमताओं का प्रदर्शन करने की अधिक संभावना होती है, जिससे न केवल उनका

व्यक्तिगत विकास प्रभावित होता है बल्कि वे देश की मानव पूंजी में भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं।

आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को अक्सर कुपोषण का सामना करना पड़ता है, जिससे स्कूल से अनुपस्थिति और स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि होती है। अयेनी और एडेलबू (2012) कम नामांकन और स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि के लिए योगदान देने वाले कारकों के रूप में खराब सामाजिक आर्थिक स्थितियों, बाल श्रम और प्रेरणा की कमी के प्रभाव को रेखांकित करते हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, मध्याह्न भोजन योजना की अवधारणा दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी: पहला, मुफ्त भोजन प्रदान करके परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना, जिससे नामांकन, उपस्थिति, प्रतिधारण और शैक्षिक प्राप्ति में वृद्धि हो; दूसरा, पोषण संबंधी सहायता के माध्यम से सीखने की क्षमताओं को बढ़ाना, भारतीय बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और विटामिन ए और आयोडीन की कमी जैसे प्रचलित मुद्दों का समाधान करना।

भारत, अपनी बढ़ती जनसंख्या और पोषण संबंधी चुनौतियों के साथ, गंभीर कुपोषण की स्थिति से जूझ रहा है, वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों में से 102वें स्थान पर है (मुरारकर एट अल., 2020; पाटीदार, 2019)। देश में 50% से अधिक बाल मृत्यु दर में कुपोषण एक महत्वपूर्ण कारक है (यादव एट अल., 2016)। विश्व स्तर पर, विशेष रूप से भारत में, कुपोषित बच्चों की चिंताजनक व्यापकता के जवाब में, स्कूल भोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रणनीति (नीरवूर्ट एट अल., 2013) के रूप में प्रमुखता मिली है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई), 1995 में शुरू किया गया, जिसने भारत में स्कूल भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की, जो बाद में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम में विकसित हुआ। 1925 में मद्रास में अपनी जड़ों के साथ, यह कार्यक्रम इतिहास में सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी पहल बन गया है, जिससे लगभग 11.59 करोड़ बच्चों को लाभ हुआ है। हालाँकि, जबकि साहित्य पोषण की स्थिति पर स्कूल के भोजन कार्यक्रमों के प्रभाव पर व्यापक रूप से चर्चा करता है, विकसित राज्यों के पक्ष में एक उल्लेखनीय पूर्वाग्रह है, जिससे अधिक वंचित क्षेत्रों में बच्चों द्वारा प्राप्त पोषण संबंधी लाभों को समझने में एक महत्वपूर्ण अंतर रह गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य लखनऊ में एमडीएम कार्यक्रम के पोषण संबंधी लाभों का मूल्यांकन करके इस शून्य को भरना है, जो एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां भूख और खाद्य असुरक्षा की उच्च दर है (मिश्रा एट अल।, 2020)। इस शोध के

निष्कर्ष न केवल लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना की विशिष्ट समझ में योगदान देते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान में ऐसे कार्यक्रमों की प्रभावकारिता पर व्यापक साहित्य में भी योगदान देते हैं।

लखनऊ में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन का महत्व:

भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में एक प्रतिनिधि शहर के रूप में लखनऊ, प्राथमिक शिक्षा पर मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक आकर्षक केस अध्ययन प्रस्तुत करता है। अपने अनूठे सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक ताने-बाने से पहचाने जाने वाला यह शहर विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की गतिशीलता को समझना नीति निर्माताओं, शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षा परिणामों को बढ़ाने का प्रयास करने वाले समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

मध्याह्न भोजन की अवधारणा:

मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनपीएसई) के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार की एक आधारशिला पहल है, जिसका उद्घाटन 15 अगस्त 1995 को हुआ था। शुरुआत में इसे 2408 ब्लॉकों में पेश किया गया था। पूरे देश में, एनपी-एनपीएसई का तेजी से विस्तार हुआ, जिसमें वर्ष 1997-98 तक सभी ब्लॉक शामिल हो गए।

लखनऊ के संदर्भ में, मध्याह्न भोजन योजना शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। विशेष रूप से, यह कार्यक्रम अपना प्रभाव केवल नियमित स्कूल के दिनों तक ही सीमित नहीं रखता है; यह गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों की भी मदद करता है। दुनिया के सबसे बड़े स्कूल भोजन कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त एमडीएम योजना, बड़े पैमाने पर संचालित होकर, देशभर के 12.65 लाख स्कूलों/ईजीएस केंद्रों में लगभग 12 करोड़ बच्चों तक पहुंचती है। शिक्षा का समर्थन करने के अपने प्राथमिक उद्देश्यों से परे, यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी अपर्याप्तताओं से संबंधित चिंताओं से भी निपटती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह लखनऊ में भी मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

सरकारों और केंद्र सरकार के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। वित्तीय बोझ साझा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 75 प्रतिशत का योगदान देती है, और राज्य शेष 25 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

अपनी स्थापना के बाद से, मध्याह्न भोजन पूरे देश में दैनिक स्कूल की दिनचर्या में एकीकृत हो गया है। मूल रूप से प्रति बच्चा प्रति दिन 100 ग्राम खाद्यान्न प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की पोषण स्थिति को बढ़ाना, नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना और कक्षा की गतिविधियों में एकाग्रता में सहायता करना है। कार्यक्रम की परिवर्तनकारी यात्रा में 2002 में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी कार्यालयों में कम से कम 200 दिनों के लिए प्रतिदिन 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन की न्यूनतम सामग्री सुनिश्चित करते हुए पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके बाद, जुलाई 2006 में, कार्यक्रम के मानकों को और बढ़ा दिया गया, जिससे प्रति बच्चे प्रति दिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो गई, साथ ही आयरन और फोलिक एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी किए गए। इस संशोधन में खाना पकाने और तैयारी की लागत को कवर करने के लिए सब्सिडी भी शामिल की गई, जो बच्चों के जीवन के पोषण और शैक्षिक दोनों पहलुओं को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है (भारत सरकार, 2006)।

<u>समस्या का विवरण:</u>

जबकि मध्याह्न भोजन योजना को पोषण संबंधी कमियों को दूर करने और नामांकन और उपस्थिति में सुधार करने की क्षमता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, लखनऊ में प्राथमिक शिक्षा पर इसके प्रभाव के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह अध्ययन निम्नलिखित शोध प्रश्नों को संबोधित करने का प्रयास करता है:

1. लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय नामांकन दरों पर मध्याह्न भोजन योजना का क्या प्रभाव है?
2. मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्र उपस्थिति में सुधार से कैसे संबंधित है?
3. मध्याह्न भोजन योजना का लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है?

4. लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना के भीतर परिचालन और संरचनात्मक कमियाँ क्या हैं, और ये इसकी समग्र प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करती हैं?

<u>चुनौतियाँ और परिप्रेक्ष्य: मध्याह्न भोजन योजना की गहन जाँच:</u>

प्राथमिक शिक्षा में मध्याह्न भोजन योजना के सराहनीय योगदान के बावजूद, बारीकी से जांच करने पर परिचालन और संरचनात्मक चुनौतियों का पता चलता है जिनकी कठोर जांच की आवश्यकता होती है। योजना की परिचालन दक्षता एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करती है, क्योंकि शिक्षक, जो इसके कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैं, बढ़ी हुई समय प्रतिबद्धता से जूझते हैं, जिससे उनका ध्यान मुख्य शिक्षण जिम्मेदारियों से हट जाता है। इस परिचालन तनाव में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र के अध्ययन के समय से समझौता करने की क्षमता है, जिससे पोषण संबंधी अनिवार्यताओं और शैक्षणिक प्राथमिकताओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। बुनियादी ढाँचागत सीमाएँ मध्याह्न भोजन योजना के निर्बाध कार्यान्वयन में बाधा डालने वाला एक और महत्वपूर्ण पहलू है। रिपोर्ट स्कूल के बुनियादी ढांचे में अपर्याप्तता को रेखांकित करती है, जिसमें रसोई सुविधाओं की कमी, भंडारण कक्ष और स्वच्छ पानी की आपूर्ति की कमी शामिल है। ऐसी संरचनात्मक अपर्याप्तताएं प्रदान किए गए भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए अंतर्निहित जोखिम पैदा करती हैं, जिससे योजना की प्रभावशीलता को चुनौती मिलती है।

परिवहन सब्सिडी में असमानताएं संरचनात्मक चुनौतियों को और अधिक रेखांकित करती हैं, जिससे 11 विशेष श्रेणी के राज्यों और अन्य राज्यों के बीच विसंगति उजागर होती है। जबकि पूर्व को प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दरों के आधार पर सब्सिडी मिलती है, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक सीमित सब्सिडी के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे समान संसाधन वितरण के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। यह असमानता विविध क्षेत्रीय परिदृश्यों में योजना की समान प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न उठाती है। मध्याह्न भोजन योजना का एक अनपेक्षित परिणाम शिक्षण और सीखने की गतिविधियों पर इसके प्रभाव में देखा जाता है। कार्यक्रम ने अनजाने में शिक्षकों और छात्रों दोनों का ध्यान शैक्षणिक गतिविधियों से ध्यान हटाकर भोजन-संबंधित गतिविधियों की ओर स्थानांतरित कर दिया है। यह बदलाव, जैसा कि योजना आयोग के प्रदर्शन मूल्यांकन में दर्शाया गया है, अध्ययन के समय की संभावित हानि

का परिणाम है और शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र पर कार्यक्रम के प्रभाव के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इन परिचालन और संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जो मुख्य शैक्षणिक लक्ष्यों के साथ पोषण संबंधी उद्देश्यों का सामंजस्य स्थापित करे। इस शोध पत्र के आगामी खंड साक्षात्कार और माध्यमिक स्रोतों के सूक्ष्म विश्लेषण के माध्यम से हितधारकों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। इस बहुआयामी अन्वेषण का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में निरंतर सफलता के लिए मध्याह्न भोजन योजना के परिचालन और संरचनात्मक आयामों के शोधन और अनुकूलन में योगदान करते हुए सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। कई अध्ययन मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हैं, कक्षा की भूख को कम करने, स्कूल की भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। बच्चों और अभिभावकों सहित हितधारक एमडीएम के कार्यान्वयन पर व्यापक संतोष व्यक्त करते हैं। माता-पिता का दृष्टिकोण एमडीएम के कारण उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में उल्लेखनीय सुधार पर जोर देता है।

प्रोफेसर अमर्त्य सेन की प्राची रिसर्च टीम ने पश्चिम बंगाल में एक अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि मध्याह्न भोजन ने नामांकन और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसका एससी/एसटी श्रेणियों की लड़कियों और बच्चों पर अधिक स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। PROBE (बुनियादी शिक्षा पर सार्वजनिक रिपोर्ट) रिपोर्ट में पाया गया कि 84% परिवारों ने स्कूलों में पके हुए मध्याह्न भोजन के प्रावधान, विविध मेनू को बढ़ावा देने और हाथ धोने जैसी अच्छी प्रथाओं को विकसित करने की सूचना दी। मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना पर एक अध्ययन में विशेष रूप से लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट को कम करने और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 107,377 विद्यालय हैं। इनमें से 107,377 स्कूल मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के अंतर्गत आते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य के सभी स्कूल इस कार्यक्रम में भाग लें। इन कवर किए गए स्कूलों में नामांकन 18,917,189 छात्रों का बताया गया है।

उल्लेखनीय रूप से, कोई भी स्कूल खुला नहीं है, जो दर्शाता है कि एमडीएम योजना ने उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सार्वभौमिक कवरेज हासिल कर लिया है। इसके अतिरिक्त,

राज्य भर में छात्र आबादी की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कार्यक्रम की व्यापक पहुंच पर जोर देते हुए, किसी भी शेष कवर किए गए स्कूलों में कोई नामांकन दर्ज नहीं किया गया है।

इन उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियाँ कायम हैं। कार्यान्वयन की बाधाओं में शिक्षकों से आवश्यक पर्याप्त समय प्रतिबद्धता, छात्रों के अध्ययन के समय और शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करना शामिल है। ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, जहां छात्र संख्या अक्सर सीमित होती है, योजना की प्रभावशीलता से समझौता किया जाता है। परिवहन संबंधी समस्याएँ सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन को और अधिक प्रभावित करती हैं। योजना आयोग के मूल्यांकन से सरकारी दिशानिर्देशों के व्यापक गैर-अनुपालन का पता चलता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव, मिलावट और खाद्यान्न की चोरी हो रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में अपर्याप्त रसोई, भंडारण कक्ष और स्वच्छ जल आपूर्ति जैसी दक्षताएं भोजन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। खाद्यान्न आपूर्ति में व्यवधान, जैसा कि 2013 में उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना पर पांचवें संयुक्त समीक्षा मिशन में बताया गया था, पोषक तत्वों के सेवन से समझौता कर सकता है। भेदभाव के मुद्दे भी उठते हैं, जैसा कि राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश के अध्ययनों में दर्ज किया गया है, जिसमें जाति-आधारित अलगाव और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के उदाहरण सामने आए हैं।

एक दुखद घटना, जहां एमडीएम के तहत परोसे गए जहरीले भोजन के कारण 23 बच्चों की जान चली गई, ने योजना के कार्यान्वयन के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। जबकि एमडीएम अवधारणा स्वाभाविक रूप से फायदेमंद है, कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना, समय-समय पर संशोधनों के अधीन, वर्तमान में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करती है। प्रावधान के प्राथमिक पहलू में खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण शामिल है, प्राथमिक स्तर पर प्रति स्कूल दिन प्रति बच्चा 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति स्कूल दिन प्रति बच्चा 150 ग्राम। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए अभिन्न अंग है कि छात्रों को उनकी शैक्षिक गतिविधियों के दौरान मानकीकृत और पोषण संबंधी संतुलित भोजन मिले।

इसके अलावा, यह योजना विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करती है। 11 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, खाद्यान्नों की परिवहन लागत को कवर

करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी इन विशिष्ट राज्यों में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दरों के अनुरूप है। इसके विपरीत, विशेष श्रेणी के बाहर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, सब्सिडी अधिकतम रु. 75.00 प्रति क्विंटल. परिवहन लागत पर सब्सिडी देने के इस रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों में मध्याह्न भोजन योजना के सफल कार्यान्वयन को बढ़ावा देते हुए खाद्यान्नों के निर्बाध और लागत प्रभावी वितरण का समर्थन करना है।

प्रमुख शोध पूछताछ को संबोधित करना: प्रगति और अंतर्दृष्टि:

इस शोध प्रयास ने प्रमुख शोध पूछताछ के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पर इसके प्रभाव को जानने की कोशिश करते हुए, लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के जटिल इलाके को परिश्रमपूर्वक नेविगेट किया है। प्राथमिक विद्यालय नामांकन दरों पर योजना के प्रभाव की खोज से एक सकारात्मक सहसंबंध का पता चला है, जो छात्र प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है। नामांकन बढ़ाने के एमडीएमएस के व्यापक लक्ष्य के साथ यह संरेखण शहर में प्राथमिक शिक्षा के प्रक्षेप पथ के लिए अच्छा संकेत है।

मध्याह्न भोजन प्रावधान और छात्र उपस्थिति में सुधार के बीच सहसंबंध की सावधानीपूर्वक जांच से एक सुसंगत पैटर्न का पता चला है। एमडीएमएस को लागू करने वाले स्कूल उपस्थिति दर पर सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, मध्याह्न भोजन के प्रावधान को न केवल एक पोषण संबंधी हस्तक्षेप के रूप में बल्कि छात्रों के बीच नियमित स्कूल उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी स्थापित करते हैं।

शोध में लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करने पर योजना के प्रभाव का भी पता लगाया गया है, जिससे उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। छात्रों के पलायन में उल्लेखनीय कमी, स्कूल छोड़ने की दर को रोकने में एमडीएमएस की भूमिका को रेखांकित करती है, जो प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के समग्र ठहराव में महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ में, लखनऊ में एमडीएमएस के परिचालन और संरचनात्मक आयामों की खोज ने कमियों की पहचान की है, जो वृद्धि के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सुव्यवस्थित परिचालन प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार, विशेष रूप से रसोई सुविधाओं और जल आपूर्ति में सिफारिशों का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान करना और लखनऊ में एमडीएमएस की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाना है। शोध के परिणाम प्रमुख शोध पूछताछ को

संबोधित करने के लिए एक व्यापक प्रयास का संकेत देते हैं, जो लखनऊ में प्राथमिक शिक्षा पर एमडीएमएस के प्रभाव की सूक्ष्म समझ प्रदान करते हैं। इस अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि सूचित निर्णय लेने, नीति परिशोधन और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए एक मूलभूत संसाधन के रूप में काम करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एमडीएमएस शहर में प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनी हुई है।

हितधारक दृष्टिकोण: मध्याह्न भोजन योजना में अंतर्दृष्टि का खुलासा:

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) की परिचालन और संरचनात्मक कमियों की व्यापक समझ हासिल करने के लिए, यह खंड इसके कार्यान्वयन में शामिल प्रमुख हितधारकों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। साक्षात्कारों और द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण के माध्यम से, हम सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का अनावरण करना चाहते हैं जो एमडीएमएस को क्रियान्वित करने और उससे लाभान्वित होने में सीधे तौर पर लगे लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं।

1. शिक्षक अंतर्दृष्टि:

एमडीएमएस के सफल कार्यान्वयन में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर सामना की जाने वाली परिचालन चुनौतियों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। साक्षात्कारों के माध्यम से, हमारा उद्देश्य उनके अनुभवों का पता लगाना, मुख्य शिक्षण जिम्मेदारियों पर बढ़ी हुई समय प्रतिबद्धताओं के प्रभाव और पोषण संबंधी लक्ष्यों और शैक्षणिक प्राथमिकताओं के बीच कथित व्यापार-बंद को समझना है।

2. माता-पिता का दृष्टिकोण:

माता-पिता, प्राथमिक हितधारकों के रूप में, एमडीएमएस के प्रभाव पर एक अद्वितीय लाभ बिंदु रखते हैं। माता-पिता के साथ साक्षात्कार से कार्यक्रम के कथित लाभों, उनके बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों और पोषण और शैक्षिक परिणामों के साथ समग्र संतुष्टि के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। ये अंतर्दृष्टि योजना की प्रभावशीलता की समग्र समझ में योगदान करती हैं।

3. छात्र अनुभव:

छात्र, एमडीएमएस के प्रत्यक्ष लाभार्थी, अपने दैनिक स्कूल अनुभवों पर योजना के प्रभाव पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। छात्रों के साथ साक्षात्कार का उद्देश्य भोजन के पोषण मूल्य, उपस्थिति और फोकस में देखे गए किसी भी बदलाव और उनकी शैक्षिक यात्रा पर योजना के समग्र प्रभाव पर उनके विचारों को उजागर करना है।

4. प्रशासनिक एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य:

एमडीएमएस की देखरेख में शामिल प्रशासकों और नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने से हमें व्यापक संरचनात्मक चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है। इन प्रमुख निर्णय निर्माताओं की अंतर्दृष्टि संसाधन आवंटन, नीति निर्माण और योजना की रणनीतिक दिशा की जटिलताओं पर प्रकाश डाल सकती है। उनके दृष्टिकोण को समझकर, हम संभावित सुधारों और सुधारों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हितधारक दृष्टिकोण के इस बहुआयामी अन्वेषण के माध्यम से, हम एक व्यापक कथा का निर्माण करने की आकांक्षा रखते हैं जो न केवल चुनौतियों की पहचान करती है बल्कि एमडीएमएस के परिचालन और संरचनात्मक आयामों को परिष्कृत करने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि भी प्रस्तावित करती है। ये दृष्टिकोण योजना की गतिशीलता की अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान करते हैं और साक्ष्य-आधारित सिफारिशों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो लखनऊ में प्राथमिक शिक्षा की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

<u>निष्कर्ष और सिफ़ारिशें:</u>

लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के सूक्ष्म मूल्यांकन की खोज में, हितधारकों के दृष्टिकोण, साक्षात्कार और माध्यमिक स्रोतों के गहन विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि कार्यक्रम में निहित जीत और चुनौतियों दोनों को उजागर करती है। शिक्षकों के साथ साक्षात्कार संचालनात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं, भोजन-संबंधी गतिविधियों के लिए बढ़ी हुई समय प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करते हैं जो संभावित रूप से मुख्य शिक्षण जिम्मेदारियों का अतिक्रमण करती हैं, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है। एक अनुशंसित रणनीति में एक संतुलित दृष्टिकोण शामिल होता है, जिसमें शिक्षकों को पोषण और शैक्षिक दोनों उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए या तो बढ़े हुए सहायक कर्मचारियों या सुव्यवस्थित परिचालन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अलावा, माता-पिता और प्रशासकों के खुलासे अपर्याप्त रसोई सुविधाओं और अपर्याप्त जल आपूर्ति जैसी ढांचागत सीमाओं की ओर ध्यान दिलाते हैं। इन चुनौतियों को कम करने के लिए, स्कूल के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश एक महत्वपूर्ण सिफारिश के रूप में उभर कर सामने आया है। एमडीएमएस की स्थायी सफलता के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित रसोई और विश्वसनीय जल स्रोतों सहित बुनियादी ढाँचे में वृद्धि का प्रस्ताव करना आवश्यक है। प्रशासनिक दृष्टिकोण परिवहन सब्सिडी में असमानताओं को प्रकट करते हैं, और अधिक न्यायसंगत संसाधन वितरण तंत्र के आह्वान का आग्रह करते हैं। सिफ़ारिशें प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप सब्सिडी की वकालत करती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों में एमडीएमएस का निष्पक्ष और समान अनुप्रयोग सुनिश्चित होता है।

छात्रों की अंतर्दृष्टि शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर भोजन-संबंधित दिनचर्या तक फोकस में अनपेक्षित बदलाव को उजागर करती है। सिफ़ारिशों में एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें मुख्य शैक्षिक उद्देश्यों के साथ पोषण संबंधी लक्ष्यों को एकीकृत किया गया है। प्रभावी समय प्रबंधन पर शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर देना और एमडीएमएस ढांचे के भीतर एक अनुकूल सीखने के माहौल को बढ़ावा देना एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करता है।

नीति निर्माताओं के साथ जुड़ाव प्राथमिक शिक्षा के उभरते परिदृश्य के अनुरूप गतिशील नीति सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सिफ़ारिशों में लखनऊ के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र की बदलती जरूरतों के अनुरूप एक उत्तरदायी नीति वातावरण को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल करते हुए नियमित नीति समीक्षा की मांग की गई है। इन निष्कर्षों और सिफारिशों का समामेलन लखनऊ में एमडीएमएस पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। परिचालन और संरचनात्मक कमियों को दूर करना, ढांचागत वृद्धि को बढ़ावा देना, समान संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना, समग्र शैक्षिक फोकस बनाए रखना और उत्तरदायी नीति सुधारों को बढ़ावा देना सामूहिक रूप से लखनऊ में प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एमडीएमएस को एक अधिक प्रभावी साधन के रूप में विकसित करने में योगदान देता है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण का उद्देश्य लखनऊ में छात्रों और व्यापक शैक्षिक समुदाय के लाभ के लिए एमडीएमएस को परिष्कृत और अनुकूलित करने पर चल रही चर्चा को समृद्ध करना है।

निष्कर्ष:

इस शोध प्रयास की परिणति में, लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) की व्यापक खोज से उल्लेखनीय उपलब्धियों और अंतर्निहित चुनौतियों दोनों से चिह्नित एक कार्यक्रम का पता चलता है। प्राथमिक विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति दर और छात्रों के बीच पोषण संबंधी कल्याण को बढ़ावा देने में योजना की निर्विवाद सफलता स्पष्ट है। हालाँकि, हितधारक दृष्टिकोण और कठोर विश्लेषण के माध्यम से सामने आई परिचालन और संरचनात्मक कमियों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा, इसकी प्रभावकारिता को और मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

संचालन संबंधी चुनौतियाँ, जैसा कि शिक्षकों द्वारा स्पष्ट किया गया है, पोषण संबंधी अनिवार्यताओं और मुख्य शिक्षण जिम्मेदारियों के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष परिचालन दक्षता बढ़ाने की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना दोनों भूमिकाएँ सहजता से निभा सकें। अपर्याप्त रसोई सुविधाओं और अपर्याप्त जल आपूर्ति सहित बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में उभरती हैं। स्कूल के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित रसोई और विश्वसनीय जल स्रोत शामिल हैं, एमडीएमएस की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सिफारिशों के रूप में सामने आते हैं।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से सामने आई परिवहन सब्सिडी में असमानताएँ समान संसाधन वितरण की अनिवार्यता की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। विभिन्न क्षेत्रीय परिदृश्यों में एमडीएमएस के निष्पक्ष और समान अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सब्सिडी की वकालत करना सर्वोपरि है। शैक्षणिक गतिविधियों पर छात्रों के ध्यान केंद्रित करने पर एमडीएमएस के अनपेक्षित परिणाम समग्र दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करते हैं। सिफ़ारिशों में एक अनुकूल सीखने के माहौल को बढ़ावा देना, मुख्य शैक्षिक उद्देश्यों के साथ पोषण संबंधी लक्ष्यों को एकीकृत करना और प्रभावी समय प्रबंधन पर शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर देना शामिल है।

नीति निर्माताओं के साथ जुड़ना उभरते शैक्षिक परिदृश्य के अनुरूप गतिशील नीति सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल करते हुए नियमित नीति

समीक्षा, लखनऊ की बदलती शैक्षिक गतिशीलता के अनुरूप एक संवेदनशील नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश के रूप में उभरी है। जबकि एमडीएमएस ने लखनऊ में प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निरंतर प्रभाव के लिए पहचानी गई चुनौतियों का समाधान करना सर्वोपरि हो जाता है। इस शोध में दी गई बहुआयामी सिफारिशों का उद्देश्य एमडीएमएस को परिष्कृत और अनुकूलित करने के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह लखनऊ में सकारात्मक शैक्षिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बना रहे। जैसे-जैसे शहर इन चुनौतियों से निपटता है, हमारी सामूहिक आशा है कि एमडीएमएस और भी अधिक मजबूत साधन के रूप में विकसित होगा, जो छात्रों के समग्र विकास और लखनऊ में व्यापक शैक्षिक समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सन्दर्भ:

1. चक्रवर्ती, एम. (2017). राजकोषीय पुनर्गठन और भारत में पोषण वित्तपोषण पर इसका प्रभाव. ओआरएफ समसामयिक पेपर.
https://www.orfonline.org

2. चेट्टीपराम्ब, ए. (2009). कार्यान्वयन में 'नीति निर्माण': भारत के केरल के कोडुंगल्लूर में स्कूल भोजन प्रावधान का मामला. द यूरोपियन जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट रिसर्च, 21(3), 419-434.
https://doi.org/10.1057/ejdr.2009.14

3. भारत सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. (रा.). प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के दिशानिर्देश.

4. प्राथमिक शिक्षा पर दोपहर के भोजन कार्यक्रम का प्रभाव: जेएसटीओआर पर तमिलनाडु में एक खोजपूर्ण अध्ययन. (रा.).
http://www.jstor.org/stable/4399067

5. इंडिया टुडे. (2023, 12 अप्रैल). पश्चिम बंगाल में पिछले साल मध्याह्न भोजन की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई: केंद्र. इंडिया टुडे.
https://www.indiatoday.in/india/story/west-bengal-over-reported-more-than-rs-100-crore-worth-midday-meals-last-year-2358899-2023-04-12

6. भारत एक साथ: समाचार अनुपात में. (रा.).
http://www.indiatogether.org/

7. कुमार, डी. पी. (2012). मध्याह्न भोजन योजना की आशंकाएँ और हस्तक्षेप - जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक केस अध्ययन. जेनिथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 2(10), 135-154.

8. प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन: JSTOR पर उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ. (रा.). https://www.jstor.org/stable/4418915

9. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान. (1998). मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स के प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन और ठहराव पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभाव. शैक्षिक प्रशासन इकाई राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान.

10. नुसबौम, एम.सी. (2016). अम्बेडकर का संविधान: समावेशन को बढ़ावा देना, बहुसंख्यक अत्याचार का विरोध करना. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ईबुक्स में (पीपी. 295-336). https://doi.org/10.1017/cbo9781316651018.011

11. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, में. (रा.). ईएससीआर-नेट. http://www.escr-net.org/docs/i/401033

12. पीटीआई. (2023, 12 अप्रैल). बंगाल सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना पर केंद्र की रिपोर्ट को 'एकतरफा' बताया टेलीग्राफइंडिया. https://www.telegraphindia.com/west-bengal/west-bengal-government-dubs-centres-report-on-midday-meal-scheme-as-one-sided/cid/1929201

13. Right to food india. org. (रा.). http://www.righttofoodindia.org/mdm/mdm_scorders.html

14. रटलेज, जे.जी. (2012). उद्यमियों के रूप में न्यायालय: भारतीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का मामला. एशियाई राजनीति और नीति. https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2012.01363.x

15. सचदेवा, एस. (2023, 20 फरवरी). यूपी में मिड-डे मील कर्मियों को महीनों से भुगतान नहीं, फंड में देरी.

16. संजय. (2023, 6 फरवरी). 14 राज्य मध्याह्न भोजन योजना के तहत अंडे उपलब्ध कराते हैं: शिक्षा मंत्रालय.

17. शंकर, पी. (2009, 1 जनवरी). प्रचुर भूमि में भूख: भारत की मध्याह्न भोजन योजना के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के लाभ.
https://repository.upenn.edu/handle/20.500.14332/8551

18. शर्मा, के. (2021, 29 सितंबर). मध्याह्न भोजन योजना अब पीएम पोषण है, लेकिन नाम परिवर्तन ही एकमात्र अंतर नहीं है. छाप.
https://theprint.in/india/education/midday-meal-योजना-अभी-pm-poshan-but-name-change-isnt-the-only-difference/742617/

19. स्मिथ, डब्ल्यू.सी., और जोशी, डी.के. (2016). सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के मार्ग के रूप में सार्वजनिक बनाम निजी स्कूली शिक्षा: चीन और भारत की तुलना. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 46, 153-165.
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.016

20. ज़ूमर्स, ए. (2014). अछूत महिलाओं के लिए अछूत भोजन. ब्लॉक जैसीनगर, मध्य प्रदेश, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन योजना में महिलाओं और उनके बच्चों का समावेश और बहिष्कार.
https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17816